

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)  
प्रकरण संख्या:- 31/2022

दायर दिनांक:- 21.02.2022

जीसीएमएस नं. 2022/61

उनवान

नरेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम शेरपुर तहसील सूरौठ हाल निवासी  
कांचरौली नाबलिंग जरिये संरक्षिका मां सीमा पत्नि सुरेन्द्र जाति जाट निवासी  
कांचरौली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

लक्ष्मण प्रसाद पुत्र देवीराम जाति जाट निवासी ग्राम शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला  
करौली।

—प्रतिवादीगण-04


दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 31/2022 नरेन्द्र बनाम लक्ष्मण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(हेमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन, जिला करौली